

कार्यालय आदेश/Office Order

462

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण हेतु *The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013* की धारा 4 तथा विश्वविद्यालय में लागू संबंधित नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या के.सं.वि.ज./प्रशा./समिति(ICC)/2026-27/2100 दिनांक 16.10.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC) का निम्नानुसार पुनर्गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है। समिति की संशोधित संरचना निम्नवत् होगी:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	मो.न.	ईमेल
1.	डॉ. सीमा अग्रवाल, सह-आचार्य- अध्यक्ष(Presiding Officer)	9871914954	dr.seema.agarwal@sanskrit.ac.in
2.	डॉ. किरण खींची, सहायक आचार्य - सदस्य	9660779586	dr.kiran.khinchi@sanskrit.ac.in
3.	डॉ. कैलाश चन्द्र सैनी, सहायक आचार्य - सदस्य	9460867107	dr.kailash.saini@sanskrit.ac.in
4.	सुश्री कल्पना चौधरी, सहायक आचार्य - सदस्य	8058704659	choudharykalpana483@gmail.com
5.	कुमारी हर्षिता जोशी, शिक्षा आचार्य (छात्रा)	8239052305	-
6.	कुमारी निकिता जंगिड़-आचार्य प्रथम वर्ष (छात्रा)	9468609230	-
7.	कविता पूनिया, सह-निदेशक (अभियोजन)- बाह्य विधिक सलाहकार	9414835999	kavita.pooniavr@gmail.com
8.	श्री शंकर जयकिशन, अनुभाग अधिकारी - सदस्य सचिव	9829960131	shankar.jai@csu.co.in

आंतरिक शिकायत समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी—

- कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निष्पक्ष, संवेदनशील एवं गोपनीय रूप से परीक्षण एवं निवारण करना।
- प्राप्त शिकायतों पर अधिनियम एवं विश्वविद्यालय में लागू नियमों/प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना तथा आवश्यकतानुसार जांच/Inquiry की कार्यवाही संपादित करना।
- शिकायतकर्ता एवं संबंधित पक्षों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करना तथा समिति की कार्यवाही को विधिसम्मत रूप से अभिलिखित करना।
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में परिसर में जागरूकता, sensitization एवं preventive measures हेतु आवश्यक सुझाव देना।
- समिति की कार्यवाही, शिकायतों एवं संबंधित अभिलेखों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना तथा किसी भी शिकायत/जांच से संबंधित सूचना को अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा न करना।
- अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित अन्य दायित्वों का पालन करना।
- समिति त्रैमासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर मुख्यालय को प्रेषित करेगी।

(प्रो. लोक मान्य मिश्र)

(Prof. Lok Manya Mishra)

निदेशक/Director

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित):

- डॉ. सीमा अग्रवाल, अध्यक्ष (ICC), जयपुर परिसर।
- संबंधित समिति सदस्या।
- सह-निदेशक (प्रशा.), जयपुर परिसर।
- सह-निदेशक (शै.), जयपुर परिसर।
- संबंधित विद्याशाखा समन्वयक, जयपुर परिसर।
- प्रशासन विभाग, जयपुर परिसर।
- परिसर वेबसाइट।
- संबंधित संचिका।

निदेशक/Director